

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

ओमप्रकाश s/o सोहनलाल

बनाम

तहसीलदार राजस्व भादरा

जाति बिश्नोई निवासी झांसल

दावा वादत - 88 R.A.C.T.

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 17/11/2021

वादी की ओर से वकील.....की व प्रतिवादी सं0..... की

आर स वकील तहसीलदार भादरा.....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17/11/2021

की मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 5 JSL के खाता संख्या 4 के

मु. न. 138 के कुल किता 10 की कुल 2.530 हैक्टेयर में वादी

ओमप्रकाश के नाम 2/15 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 JSL के

मु. न. 138, 139, 142, 143 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल

4.4650 हैक्टेयर नहरी मय खाला में वादी ओमप्रकाश के नाम

2/15 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि

में वादी ओमप्रकाश का पता चौधरीवाला दर्ज है। पता/साकिन

चौधरीवाला के स्थान पर झांसल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड

दुरुस्त किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय अधिकारी (राजस्व)
(शकुन्तला चौधरी)

भादरा (हनुमानगढ़)

प्र.गा. के संग अ-2021

कैम्प 17/11/2021

भारत सरकार